भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 11
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों से पक्षियों और वन्यजीवों के टकराने की घटनाएँ

11. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में विमानों से पक्षियों और वन्यजीवों के टकराने की कितनी घटनाएँ हुईं हैं, परिणामस्वरूप विमानों को कितना नुकसान हुआ है, इन दुर्घटनाओं में कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है;

(ख) विमानों से वन्यजीवों के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आसपास के परिसर में पक्षियों और वन्यजीवों को नियंत्रित करने के लिए विमानपत्तन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को बफर ज़ोन घोषित करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे भारतीय विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां पर एक कार्यशील वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना लागू की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पक्षियों और पशुओं के टकराने की पुष्ट घटनाओं और परिणामस्वरूप विमान क्षति का विवरण अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, भारतीय हवाईअड्डों पर पक्षियों और पशुओं के टकराने के कारण किसी भी व्यक्ति के घायल होने या मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों पर संभावित वन्यजीव खतरे के प्रबंधन के लिए विनियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वायुयान नियमावली 1937 का नियम 91, एयरोड्रोम रिफरेंस प्वाइंट के 10 किमी के भीतर कचरा डालने और ऐसे जानवरों के काटे जाने पर प्रतिबंध लगाता है, जो वन्यजीवों को आकर्षित कर सकते हैं।

वर्ष 2017 का हवाईअड्डा एडवाइजरी परिपत्र एडी एसी 06 में हवाईअड्डा संचालक को वन्यजीवों के टकराने को नियंत्रित करने के लिए हवाईअड्डे पर एक प्रभावी वन्यजीव नियंत्रण तंत्र विकसित करने और उसे लागू करने का अधिदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2022 का हवाईअड्डा एडवाइजरी परिपत्र एडी एसी 01 हवाईअड्डे पर और उसके आसपास वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना की कमियों की पहचान करने और उसका कड़ा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

डीजीसीए के निगरानी निरीक्षणों के दौरान हवाईअड्डों पर स्थापित प्रक्रियाओं की नियमित रूप से जाँच की जाती है।

(घ): वन्यजीव खतरे के संबंध में विमान परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन अपेक्षाएं सीएआर खण्ड 4 श्रृंखला बी, भाग 1 के पैरा 9.4 के तहत वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना (डब्ल्यूएचएमपी) विकसित करने और प्रक्रियाएँ स्थापित करने की अपेक्षाओं को अधिदेशित किया गया है।

अनुलग्नक क

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पक्षियों और पशुओं के टकराने की घटनाओं और परिणामस्वरूप विमान क्षति का विवरण

वर्ष	**पक्षियों के टकराने के पुष्ट मामलों की संख्या**	**पशुओं के टकराने के पुष्ट मामलों की संख्या**	**विमानों को क्षति**
2020	674	9	65
2021	775	13	114
2022	1131	18	150
2023	1371	22	206
2024	1278	20	198
2025 (जून तक)	511	16	71

******